



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड- बुन्देलखण्ड-02
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
 गली नं०-01 सर्वोदय नगर बाँदा, पिन कोड- 210001
 E-Mail : eeecdubund02@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्रांक सं० : 683 / नि०ख० बुन्देलखण्ड-02 / AC-21 / 05 दिनांक: 5/07/2025

कुटेशन नोटिस

अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक मुहरबन्द कुटेशन दिनांक 15.07.2025 को 3.00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त कुटेशन दिनांक 15.07.2025 को अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित कुटेशनदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि/ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में खोली जायेंगी।

कार्य का नाम :- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-02 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बाँदा में 01 जैकसन ब्रांड 18.50 के.वी.ए. डी.जी. सेट आपूर्ति का कार्य।

S. No.	Item of Work	Qty.
1	Supplying, Installation, Testing & Comissining of 18.50 KVA Make Jakson Brand Silent DG Set comprising 1 of Cummins.make Engine Model. X2.5-G6. Developing .25.2 BHP and.18.50 KVA Single Phase Stamford make alternator mounted on a common base, complete with: I. Fuel tank II. Battery and leads III. Manual Control Panel IV. Residential Silencer V. First fill of lube oil VI. AVM Pads VII. Acoustic Enclosure Erthing 2 No Unloading Bire And Change over	01

नियम व शर्त:-

- यदि किसी कारणवश कुटेशन सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो कुटेशन अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- कार्य पूर्ण करने की अवधि पन्द्रह दिवस होगी।
- कुटेशनदाता/फर्म को जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा एवं उनके सभी देयकों से नियमानुसार आयकर एवं अन्य कर जो भी सरकार द्वारा लागू किये जाते हैं की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- कुटेशनदाता/फर्म द्वारा कुटेशन में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर कुटेशनदाता/फर्म को अयोग्य समझा जायेगा एवं कुटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी कार्य आदेश के पश्चात् होती है। तो कार्य आदेश उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में डाला जायेगा।
- नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगी।
- अधोहस्ताक्षरी को कोई भी अथवा समस्त कुटेशन में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- सशर्त कुटेशन मान्य नहीं होगी।
- कार्य का भुगतान संतोषजनक स्थिति में पूर्ण करने पर किया जायेगा।
- किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद बाँदा का न्यायालय होगा।
- टेकेदार/कुटेशनदाता

पत्रांक 683 / AC-21 / 05

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अधीक्षण अभियन्ता बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बी-1 तालपुरा झांसी।
- सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता नि०ख०बुन्देलखण्ड-02 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बाँदा।
- इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद वेब-साइट पर प्रचारित प्रसारित करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।

(वीरेन्द्र कुमार गौड़)
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता